भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3450

जिसका उत्तर गुरुवार, 25 मार्च, 2021 को दिया जाना है

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ विचार-विमर्श

3450 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को 19 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा एन आर परमार मामलों में दिए निर्णय को उलट देने के संबंध में के. मेघचंद्रा सिंह एवं अन्य बनाम निगम सिरों एवं अन्य मामले के संबंध में तथा इनके बाद दिए गए बहुत से निर्णयों के संबंध में संशोधित कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी करने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संदर्भ प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संदर्भ की तिथि क्या है ;

(ग) वर्तमान स्थिति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलंब होने के क्या कारण है ; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक परामर्श पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी हां, इस विभाग को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से 2019 की सिविल अपील संख्या 8833-8835, के. मेघचंद्रा सिहं एंव अन्य बनाम निगम सिरो एंव अन्य {(2020)5 एससीसी 689} में तारीख 19.11.2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन आर परमार मामले में दिए गए निर्णय को उलटने के संबंध में विधिक राय के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। निर्देश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से तारीख 05.12.2019, तारीख 28.12.2019, तारीख 03.02.2020 और तारीख 23.11.2020 को प्राप्त हुए थे तथा उन पर राय दे दी गई थी ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, इस विभाग के पास इस मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कोई निर्देश लंबित नहीं है ।

****